न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :- 86/2022
राजस्व प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. विशनसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
प्रार्थी...........

बनाम

1. देवीसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
अप्रार्थीगण..

उपस्थितः-

1. श्री पर्वतसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांकः- 03.01.2024

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी ने एक नियमति राजस्व वाद खातेदारी अधिकारों के हिस्से की घोषणा एवं जारी करवाने स्थाई निषेधाज्ञा के लिए अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय हाजा में पेश कर दिया है प्रार्थी के वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्ट्या साबित है एवं प्रार्थी को वाद में सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। सरहद मौजा ग्राम बारू तहसील बाप मे खेत खसरा नम्बर 656 रकबा 8.8707 हैक्टेयर की स्थित है। चालू जमाबंदी की प्रमाणित प्रति सम्वत 2078-2081 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की पीढियो से कदीमी काश्त भूमि है, और प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हक हकूक प्राप्त है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का सहदायी सदस्य है। वादग्रस्त भूमि वक्त भू-प्रबन्ध सम्वत 2015 में आमसिंह, कल्याणसिंह, पदमसिंह, अमानसिंह पिसरान जवाहरसिंह 1/3 हिस्सा, सांगसिंह वल्द दलसिंह 1/3 हिस्सा, सांगसिंह वल्द विजेसिंह, जुजारसिंह, गुमानसिंह पिसरान राहिंगसिंह 1/3 हिस्सा कौम रापजूत भाटी साकिन देह जागीरदार खुदकाश्त खातेदार खसरा नम्बर 656 रकबा 409.06 बीघा दर्ज अभिलेख की गई। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2015 से 2031 [illegible] प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। खसरा नम्बर 656 रकबा 409.06 बीघा भूमि [illegible] खातेदारान के मध्य विभाजन किया जाकर प्रार्थी के पिता गुमानसिंह के हिस्से रकबा 54.16 बीघा भूमि हिस्सा बंट में आई। खसरा नम्बर 656 रकबा 54.16 बीघा पर प्रार्थी का बहैसियत सहदायी (कोपार्सनर) कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी को हिन्दू मिताक्षरा विधि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:48 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार वादग्रस्त भूमि में जन्म से हक हकूक पैदा हो जाने से प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में अपना 1/7 हिस्सा सहखातेदार काश्तकार काबिज होने की घोषणा करवाने का जायज हकदार है। वादग्रस्त भूमि का एक वाद पूर्व में उपखण्ड अधिकारी एवं न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी में वाद संख्या 105/1997 देवीसिंह बनाम गुमानसिंह के अनवान से प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थी एंव प्रार्थी के द्वारा अपने पिता गुमानसिंह पुत्र रायसिंह एवं तहसीलदार फलोदी के विरूद्ध घोषणा एंव बंटवाड़ा के लिये प्रस्तुत किया। इस वाद में प्रार्थी एंव अप्रार्थी के द्वारा वादग्रस्त भूमि को पैतृक मानते हुए अपने पिता गुमानसिंह के जीवनकाल में ही पैतृक भूमि होने के आधार पर अपने हिस्से की घोषणा एवं बंवाड़ा की इस्तदुआ की मांग की गई, तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी के पिता गुमानसिंह ने वादग्रस्त भूमि के वाद को स्वीकार कर राजीनामा पेश कर वाद पत्र में प्रार्थी और अप्रार्थी प्रत्येक के बंट में 14-14 बीघा भूमि बंट में रखी गई तथा गुमानसिंह ने अपने बंट में रकबा 12.16 बीघा भूमि रखना स्वीकार किया जाने का माफिक सहायक कलक्टर फलोदी दिनांक 11.06.1997 को वाद जरिये राजीनामा स्वीकार किया गया वाद स्वीकार के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। यद्यपि वादग्रस्त भूमि के वाद संख्या 105/1997 देवीसिंह बनाम गुमानसिंह अनवान स्वीकार किया जाने के बावजूद राजस्व अभिलेख में अमल दरामद नहीं, परन्तु प्रार्थी और अप्रार्थी उक्त विभाजन के माफिक मौका पर अपने बंट में आई भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में आज तक चले आ रहे है। चूंकि वाद संख्या 105/1997 देवीसिंह बनाम गुमानसिंह के निर्णय का रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ तथा सन् 2005 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पुत्रियों का भी कदिमी पैतृक भूमि में जन्म से ही हकूक पैदा होने से मान लिया जाने से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 1/7 हिस्सा तथा अप्रार्थी का भी 1/7 हिस्सा है, प्रार्थी अपने 1/7 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का घोषित करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी और अप्रार्थी के पिता गुमानसिंह का कदिमी पैतृक सहदायी भूमि में वास्तव में 1/7 हिस्सा होते हुए अविभाजित वादग्रस्त भूमि में सभी सहहिस्सेदार सहदायी सदस्यों का कब्जा काश्त होते हुए दिनांक 06.10.2021 को वादग्रस्त भूमि सम्पूर्ण भूमि का एक बक्शीशनामा अप्रार्थी [illegible] दिनांक 08.10.2021 को उप पंजीयक शेखासर के समक्ष प्रस्तुत कर वादग्रस्त [illegible] बक्शीसनामा को बिना किसी हक हकूक गुमानसिंह ने अपना [illegible] तरीके से बक्शीसनामा का निष्पादन करवाया। पैतृक भूमि में प्रार्थी के हिस्से [illegible] सम्पूर्ण तरीके से बक्शीसनामा करवाने का कानूनन एवं जायज हक हासिल नहीं था इस बक्शीसनामा के जरिये अवभिजित वादग्रस्त भूमि का वादग्रस्त वास्तविक एंव भौतिक कब्जा भी मौका पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फलोदी)

सुपुर्द नहीं हुआ। बक्शीसनामा कूनन में शुरू से ही गलत एवं गैर कानूनी होने से विधि अनुसार प्रभाव शून्य है प्रार्थी दिनांक 08.10.2021 को निष्पादित बक्शीसनामा के अपने जायज खातेदारी हक हकूको को शुरू से ही शून्य एवं प्रभावहीन करार घोषित करवाने का हकदार है विकल्प में गुमानसिंह के 1/7 हिस्सा तक से अधिक बक्शीसनामा को शुरू से ही शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करवाने का हकदार है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को दिनांक 03.04.2022 को धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि मैने अपने नाम पिताजी को जमीन की कीमत देकर जमीन अपने नाम पंजीकृत विलेख के जरिये खातेदारी में दर्ज करवा दी है। आईन्दा वादग्रस्त भूमि में काश्त मत करना वरना तुम्हारी काश्त भूमि पर ट्रेक्टर चलाकर फसल नष्ट कर कब्जा से बेदखल करूगा। अप्रार्थी की इस धमकी पर प्रार्थी ने वादग्रसत भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेख से जमाबंदी, नामानतरण, बक्शीसनामा इत्यादि की प्रतिलिपि निकलवाकर देखने से गलत बक्शीसनामा निष्पादित करवाने और उसके नामान्तरण संख्या 3290 की जानकारी हुई प्रार्थी नामान्तरण संख्या 3290 ग्राम बारू को निरस्त करवाने का हकदार है। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी ने प्रार्थी की कदिमी पैतृक सहदायी भूमि गलत बक्शीसनामा के जरिये राजस्व अभिलेख में विधि विरूद्ध तरीके से दर्ज करवा रखी है। अप्रार्थी गलत राजस्व अभिलेख की आड़ में प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो गया है, अगर अप्रार्थी अपने नापाक मंसूबों में सफल हो जाता है तो प्रार्थी के जायज खातेदारी हकूकों पर कुठाराघात होगा और प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। प्रार्थी दावेदार है तथा अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय की जारी की गयी कि अप्रार्थी राजस्व ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप के खसरा नंबर 656 रकबा 8.8707 हैक्टेयर भूमि में मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी उपस्थित आये तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से है-

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी ने अदालत हाजा में एक दावा बाबत खातेदारी अधिकार [illegible] व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अवश्य पेश किया है लेकिन उक्त वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात एवं वाद में वर्णित तथ्यों तथा उक्त भूमि पैतृक सम्पति नहीं होने से मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया जाता है। ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू के मूल खसरा नम्बर 656

भूमि गुमानसिंह पुत्र रघिंगसिंह व अन्य खातेदारान के नाम वक्त सेटलमेंट दर्ज हुई जो गुमानसिंह के हिस्से की भूमि वर्तमान में अप्रार्थी के नाम दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि नहीं है। ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नम्बर 656 रकबा 409.06 बीघा भूमि वक्त सेटलमेंट गुमानसिंह व अन्य खातेदारान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई थी जो खतोनी बन्दोबस्त से प्रमाणित है उक्त भूमि के मूल खातेदारों ने अपने कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा कर लिया था उक्त बंटवाड़ा अनुसार गुमानसिंह को खसरा नम्बर 656 रकबा 8.7807 हैक्टेयर भूमि बंट में आई थी और उक्त भूमि की नवशा लट्ठ में तरमीम भी हो रखी ह। उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति नहीं होने से प्रार्थी किसी भी प्रकार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। पूर्व में उक्त भूमि को लेकर के वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दायर किया गया था जिसके मुकमा नम्बर 105/1997 है। उक्त वाद का निर्णय मिलीभगत करके करवाया था जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति नहीं होने से उक्त निर्णय की पालना नहीं की गई है। उक्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार गुमानसिंह ने अपने नाम दर्ज भूमि को जरिये पंजीबद्ध बख्शीसनामा के अप्रार्थी को बख्शीस कर दी थी। बख्शीस अनुसार अप्रार्थी के नाम नामान्तरण संख्या 3290 मौजा बारू भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त भूमि पैतृक सम्पति नहीं है। उक्त भूमि पैतृक सम्पति नहीं होने से उक्त भूमि प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। प्रार्थी अप्रार्थी के पक्ष में हुए बख्शीशनामा को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करवाने के कोई अधिकारी नहीं है और न ही प्रार्थी उक्त भूमि में किसी प्रकार की कोई घोषणा करवाने का ही अधिकारी है। खसरा नम्बर 656 रकबा 8.7807 हैक्टेयर भूमि को अप्रार्थी ने जरिये पंजीबद्ध बख्शीशनामा के बख्शीश में प्राप्त की है और हस्तान्तरण के दिन से ही उक्त पर मौके पर अप्रार्थी काबिज है जो तथ्य वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी से प्रमाणित है। उक्त भूमि न तो पैतृक है और न ही उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त ही है और न ही उक्त भूमि को लेकर के प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई कुठाराघात ही हो रहा है और न ही प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति हो रही है। प्रार्थी रेकर्डेड खातेदारी अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं है। उक्त भूमि बख्शीशकर्ता गुमानसिंह पुत्र रघिं[illegible]ह के [illegible]क्त सेटलमेंट ही दर्ज हुई थी जो भूमि पैतृक सम्पति नहीं है। वि[illegible] अनुसार जो भूमि बाप दादा की पीढ़ियों से उत्तरोतर चली आ रही हो वही भूमि पैतृक सम्पति होती है इ[illegible]लिये उक्त भूमि पैतृक सम्पति ही नहीं है तो उक्त प्रार्थना पत्र किसी भी परिस्थिति में चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी उक्त भूमि का रेकर्डेड खातेदारी है जिसने उक्त भूमि के गुमानसिंह ने जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024-02-06 15:01:48 IST
Reason: SelfAttested

पंजीबद्ध बख्सीशनामा के बख्सीश की है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को मात्र हैरान व परेशान करने की गरज से ही यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर बहस में बताया कि खेत खसरा नम्बर 656 वक्त भू-प्रबन्ध रकबा 409.06 बीघा भूमि ग्राम बारू में आम्बसिंह, कल्याणसिंह, पदमसिंह, अमानसिंह पिसरान जवाहरसिंह 1/3 हिस्सा, सांगसिंह वल्द दलसिंह 1/3 हिस्सा, सांगसिंह वल्द विजेसिंह, जुझारसिंह, गुमानसिंह पि. रहिंगसिंह 1/3 हिस्सा कौम राजपूत देह हिस्सा जागीरदार की खुदकाश्त दर्ज अभिलेख हुई। भू-प्रबन्ध की इस पृष्ठि से भूमि कदिमी पैतृक होना साबित है। जागीदार की खुदकाश्त भूमि आज तक सभी न्यायिक निर्णयों में पैतृक होना मानी है इस संबंध में न्यायिक निर्णय

(1) RRD 1992 Page no. 450 भैरूसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

(a) Section 30B (a) Jagir land is ancestral property-The ceiling limit on such lands should be worked out after considering the notional shares of the sons and the widowed mother, if any after finding out whether they are dependant or not on the assessee. (para 6)

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर अपील/एल.आर./5114/2010/जोधपुर फूलसिंह बनाम हरीसिंह वगैरा. में पैरा (6) में वसीयत की गई भूमि में :- "वसीयत पैतृक सम्पति की होने से अपीलार्थी मालिक नहीं हो सकता हैं। वसीयत की गई भूमि वसीयतकर्ता की सेल्फ एक्वायर्ड नहीं होकर पैतृक कृषि भूमि है, जिसमें दोनों बहनों एवं दोनों भाईयों का बराबर हिस्सा हैं।"

(2) यह कि खसरा नम्बर 656 को पैतृक भूमि मानकर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पिता गुमानसिंह ने वाद संख्या 105/1997 जवान देवीसिंह बनाम गुमानसिंह में अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पैतृक स्वीकार करने पर न्यायालय ने भी डिक्री व निर्णय दिनांक 11.06.1997 को जारी किया गया।

(3) यह कि प्रार्थी के पिता गुमानसिंह ने अपने नाम कदिमी पैतृक हिस्से में आयी भूमि 656 रकबा 54.16 बीघा भूमि दिनांक 08.10.2021 को पत्नी हिस्से से अधिक का बख्सीशनामा गलत करवाया है। प्रार्थी के पिता गुमानसिंह ने न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी के वाद संख्या 105/1997 में विभाजन की डिक्री निर्णय जारिये दर्ज हो रखी खसरा नम्बर 656 रकबा 54.16 बीघा में प्रार्थी व अप्रार्थीगण भाई व बहनों को मिलाकर कुल 1/7 हिस्सा प्रत्येक का होने से प्रार्थी के पिता गुमानसिंह खसरा नम्बर 656

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:48 IST
Reason: SelfAttested

रकबा प्रार्थी के पिता को विक्रय, बख्सीश इत्यादि से अन्तरण करने का हक हासिल होते हुए प्रार्थी के भाई व बहनों के हिस्से सहित गलत प्रार्थी के भाई देवीसिंह को गलत बख्सीश की है। 1/7 हिस्सा ही देवसिंह को भूमि अन्तरण करने का हक अधिकार था प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विधि के माफिक मजबूत आधार पर है, वाद में प्रार्थी को पूरी पूरी सफलता मिलने की उम्मीद है।

(4) यह है कि अप्रार्थी देवीसिंह को प्रार्थी के पिता ने सम्पूर्ण भूमि विधि के विरूद्ध गलत बख्सीश की है, कदिमी पैतृक भूमि पर प्रार्थी व उसके सभी भाई बहनों का बराबर हक हिस्सा व कब्जा काश्त है। अप्रार्थी देवीसिंह गलत बख्सीश नामा का अपने आधार बनाकर उसका गलत नामान्तरण अपने नाम से स्वीकृतक रवाने के बाद वादग्रस्त भूमि सरासर गलत अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा ली है, जो कानून के विरूद्ध दर्ज करवायी है।

(5) प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को मूल राजस्व वाद के निर्णय तक कन्फर्म नहीं किया जायेगा तो प्रार्थी को भूमि से बलपूर्वक बेदखल कर दिया जायेगा तथा मौके पर लड़ाइ झगड़ होने से फोजदारी एवं राजस्व की अलग अलग कार्यवाहियां होगी तथा प्रार्थी को बेवजह हैरानी व परेशानी होगी तथा लम्बे समय तक स्थगन के अभाव में कार्यवाहियां के बढ़ने से न्याय में विलम्ब होगा और समय व धन की बर्बादी होगी। प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा ओदश नियमित राजस्व वाद के अन्तिम निर्णय तक (कन्फर्म) स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवायी जाने का आदेश फरमावें।

बहस वकुलाय पक्षकारान् प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी।

पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, लिखित बहस इत्यादि का अवलोकन किया गया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक सम[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम दृष्टया [illegible]

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद्पत्र और उसके स[illegible] प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के

उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2078-81, नामान्तरण संख्या 3290 दिनांक 22.12.2021 पंजीबद्ध बख्शीशनामा दिनांक 08.10.2021 का अवलोकन किया गया। जमाबंदी अनुसार अप्रार्थी देवीसिंह पुत्र गुमानसिंह वादग्रस्त भूमि का एकल अभिलिखित काश्तकार है जिसको वादग्रस्त भूमि जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज अपने पिता गुमानसिंह पुत्र रामसिंह से बख्शीश में प्राप्त हुई है जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार किसी सक्षम न्यायालय से आक्षेपित नहीं है और न ही नामान्तरण संख्या 3290 किसी सक्षम न्यायालय में आक्षेपित है यद्यपि प्रार्थी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत न्यायालय हजा में विचाराधीन है जिसमें साक्ष्योपरान्त निर्धारण होना है कि प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में हक व हिस्सा है या नहीं लेकिन वर्तमान में अप्रार्थी को वादग्रस्त भूमि जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज से प्राप्त होने व अभिलिखित काश्तकार होने के चलते प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2078-81, नामान्तरण संख्या 3290 दिनांक 22.12.2021 पंजीबद्ध बख्शीशनामा दिनांक 08.10.2021 का अवलोकन किया गया। जमाबंदी अनुसार अप्रार्थी देवीसिंह पुत्र गुमानसिंह वादग्रस्त भूमि का एकल अभिलिखित काश्तकार है जिसको वादग्रस्त भूमि जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज अपने पिता गुमानसिंह पुत्र रामसिंह से बख्शीश में प्राप्त हुई है जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार किसी सक्षम न्यायालय से आक्षेपित नहीं है और न ही नामान्तरण संख्या 3290 किसी सक्षम न्यायालय में आक्षेपित है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी जारी [illegible] जाता है तो अप्रार्थी अपने प्राथमिक अधिकारों यथा आराजी के उप[illegible] आदि सुविधाओं से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बि[illegible] प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:48 IST
Reason: SelfAttested

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुवे है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 21.04.2022 को खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:48 IST
Reason: SelfAttested